न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 13/2019

बउनवान

1. ओमप्रकाश आयु 50 वर्ष पुत्र बलभद्र, जाति मीणा
2. श्रीमति तुलसीबाई आयु 55 वर्ष बेवा रामकिशन
3. जितेन्द्र आयु 35 वर्ष पुत्र रामकिशन
4. हरिवचन आयु 28 वर्ष पुत्र रामकिशन
5. हेमन्त कुमारी आयु 32 वर्ष पुत्री रामकिशन
6. रिंकू कुमारी आयु 29 वर्ष पुत्री रामकिशन अकवाम मीणा निवासीगण बमूलिया जोगियान तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0) **(अपीलांटगण)**

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र बजरंगलाल, जाति मीणा, निवासी बामली
2. भोजराज पुत्र बजरंगलाल जाति मीणा, निवासी बामली
3. रामकरण पुत्र बजरंगलाल, जाति मीणा, निवासी बामली
4. कांतिबाई पुत्री बजरंगलाल, जाति मीणा, निवासी बामली
5. शान्तिबाई पुत्री बजरंगलाल, जाति मीणा, निवासी बामली तहसील व जिला बारां **(रेस्पोडेन्ट्स)**

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज0)

अपील विरूद्ध इंतकाल नं. 252 दिनांक 21.07.1977 तहसीलदार अन्ता अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री महेश प्रकाश गौतम एडवोकेट **(अपीलांट्स)**
2. श्रीबृजकिशोर शर्मा एडवोकेट **(रेस्पोडेन्ट्स)**

निर्णय दिनांक 13.09.2022

अपीलांट्स की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बालाखेडा तहसील अन्ता की आराजी खसरा नंबर 1160 रकबा 0.33 है. एवं खसरा नंबर 1221 रकबा 2.19 है. कुल किता 2 कुल रकबा 2.52 है. वर्तमान में अपीलांट कम 1 के पिता व अपीलांट कम 2 के ससुर अपीलांट कम 3 ता 6 के दादा बलभद्र पुत्र पन्नालाल एवं रेस्पोडेन्ट की माता [illegible] जाति मीणा के खाते दर्ज है। पन्नालाल की मृत्यु हो जाने पर उक्त आराजी [illegible]स् के पिता व दादा बलभद्र के खाते इंतकाल नंबर 251 वारिस [illegible] परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा रेस्पोडेन्टस की माता बिरधीबाई [illegible] संख्या 97 की आराजी बखाते पन्नालाल में इन्तकाल नंबर 145 दिनांक 21.07.1977 पन्नालाल की मृत्यु हो[illegible]र्ज होने को आधार बनाकर बलभद्र के साथ बिरधीबाई माता रेस्पोडेन्टस के नाम [illegible] खोल दिया है। जबकि बिरधीबाई विवाहिता थी एवं उसका कोई अधिकार नहीं था। खातेदार

जिला कलक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 11:09:47 IST
Reason: SelfAttested

बलभद्र का स्वर्गवास 12.01.2013 को हो गया। बलभद्र के रामकिशन व ओमप्रकाश 2 पुत्र थे, जिनमें रामकिशन का स्वर्गवास हो गया है, उसके अपीलांट क्रम 2 ता 6 वारिस हैं। अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्टस की जाति मीणा होने के कारण उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है, इस कारण बिरधीबाई का कोई अधिकार नही था। यदि किसी प्रकार का अधिकार बिरधीबाई को प्राप्त भी था, तो मीणा जाति की सदस्य होने से उसकी मृत्यु दिनांक 06.07.2005 को हो जाने पर समाप्त होकर उसके भाई बलभद्र में समाहित हो चुके है। आराजी खातेदार पन्नालाल की होने से पुत्र बलदेव को अकेले प्राप्त हुई है। पुत्री बिरधीबाई कोई हक अधिकार प्राप्त करने की अधिकारणी नही थी बलभद्र व पुत्र रामकिशन की मृत्यु दिनांक 12.01.2013 को हो जाने पर अपीलाण्ट्स एकमात्र वारिस खातेदार हो गये है। अपीलान्ट्स सम्पूर्ण आराजी पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। बलभद्र के नाम इंतकाल नंबर 251 खोले जाने के पश्चात बिरधीबाई के नाम बलभद्र के साथ दर्ज करते हुए खोला गया इंतकाल नंबर 252 बिरधीबाई की सीमा तक उसके विवाहिता होने से प्रथम दृष्टया ही विधि विरूद्ध है, जिसका कोई आधार नही था। अपीलांटस द्वारा उक्त आराजी के स्वयं को खातेदार खातेदार घोषित कराने का वाद उपखण्ड अधिकारी अन्ता में दिनांक 16.06.2015 को प्रस्तुत किया है जो जैरकार है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल नंबर 252 दिनांक 21.07.1977 ग्राम बालाखेडा तहसील अन्ता जिला बारां को बिरधीबाई की सीमा तक निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तलब कर अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए परन्तु अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने रेस्पोडेन्ट्स की ओर से वकालतनामा पेश नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी मृतक पन्नालाल पुत्र बल्देव जाति मीणा निवासी बालाखेड़ा के खाते की आराजी है। पन्नालाल की मृत्यु उपरांत उक्त आराजी बलभद्र पुत्र पन्नालाल एवं बिरधीबाई पुत्री पन्नालाल के खाते जरिये नामान्तरकरण संख्या 252 ग्राम बालाखेडा द्वारा दर्ज की गई। बलभद्र की मृत्यु उपरांत उसके पुत्र ओमप्रकाश एवं रामकिशन की मृत्यु होने से उसके वारिसान अपीलांट क्रम 2 ता 6 के खाते दर्ज हुई। परन्तु बलभद्र की बहन बिरधीबाई के नाम उक्त आराजी का इंतकाल गलत दर्ज किया गया है क्योंकि बिरधीबाई तत्समय विवाहिता थी तथा मीणा जाति की सदस्य होने से विवाहिता पुत्री को पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल नंबर 252 दिनांक 21.07.1977 ग्राम बालाखेडा तहसील अन्ता जिला बारां बिरधीबाई की सीमा तक निरस्त फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट्स ने विधिक दृष्टांत आरबी (28) 2021 पृष्ठ संख्या 394 से 398 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा [illegible] अपील/डिक्री/टी.ए./2008/5034/करौली बउनवान [illegible] सत्तूलाल में पारित निर्णय दिनांक 06.04.2021 की छायाप्रति प्रस्तुत की।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 11:09:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा इत्तकाल नंबर 252 दिनांक 21.07.1977 ग्राम बालाखेडा तहसील अन्ता जिला बारां को निरस्त करवाने हेतु लगभग 45 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है, जो मियाद बाहर होने से निरस्तनीय है। उक्त आराजी से संबंधित प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता में विचाराधीन है। जिसमें प्रस्तुत साक्ष्य से उभयपक्ष के हक हकूक तय होगें। अपील नामान्तरकरण Fiscal कार्यवाही है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता में विचाराधीन प्रकरण में ही उभयपक्ष के अधिकार तय होगें। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पन्नालाल के फौत होने पर नामातंकरण संख्या 252 दिनांक 21.07.1977 से पन्नालाल के स्थान पर उसके पुत्र बलभद्र व पुत्री बिरधीबाई के नाम से तस्दीक किया गया। इसकी अपील 45 वर्ष पश्चात की गई है। अपीलांट का अपील में कथन है कि अपीलांट स्वंय को खातेदार घोषित करवाने का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता में विचाराधीन है।

अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि मीणा जाति में पुरूष सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होते है व महिलाओं को विरासत में सम्पत्ति के किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होते। इसके समर्थन में उसके द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरबीजे (28) 2021 पृष्ठ संख्या 394 से 398 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या अपील/डिक्री/टी.ए./2008/5034/करौली बउनवान मु. रतनबाई बनाम बत्तूलाल में पारित निर्णय दिनांक 06.04.2021 भी पेश किया है। परन्तु चूंकि अपीलांट द्वारा खातेदारी घोषणा का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता में पेश किया हुआ है। जिसमे उनके अधिकार तय होगें। नामातंकरण प्रक्रिया एक Fiscal कार्यवाही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। तथा तहसीलदार अन्ता को निर्देशित किया जाता है कि नियमित वाद के निर्णयानुसर अग्रिम कार्यवाही संपादित करें।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारां

जिला कलेक्टर बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 11:09:47 IST
Reason: SelfAttested